



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: 1886 / 12-1 दिनांक 30 / 12 / 2019

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०-०२
नई टिहरी।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड रायपुर-कुमालडा-कदूखाल मोटर मार्ग के किमी० 35.00 से घेना गांव तक मोटरमार्ग निर्माण हेतु 2.0825 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/23941/2017 गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक-1529 / FP/UK/ROAD/23941/2017 दिनांक 21-12-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है में कतिपय अधिरोपित शर्तों के अधीन जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। भारत सरकार के पत्र संख्या-08वी/यू०सी०पी०/06/63/2019/एफ०सी०/2112 दिनांक 17-12-2019 में दी गयी शर्तों के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

- 1- शर्त संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा ग्राम-घेना की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का निर्धारण प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा किया जायेगा।
- 2- शर्त संख्या-02 के अनुपालन में एन०पी०वी० के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.698 हे० हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे० की दर से मु० 14,34,810.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन०पी०वी० की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है" :-

ईको-क्लास श्रेणी-	V
हरियाली का घनत्व-	0.40 MDF
एन०पी०वी की दर प्रति हे०-	मु० 8,45,000.00 (आठ लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	1.698 हे०
कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि-	1.698 हे० X 8,45,000.00 = 14,34,810.00

- 3- शर्त संख्या-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- 4- शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

9

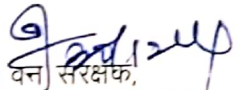
- 5- बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधियों (सी0ए0, एन0पी0वी आदि) को बैंक पोर्टल पर ऑन लाईन किये गये चालान के माध्यम द्वारा ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाये अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
- 6- बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 60 वृक्षों (मसूरी वन प्रभाग) एवं 115 वृक्षों (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) से अधिक न हो तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 7- बिन्दु संख्या-07 के अनुपालन में User Agency in Concurrence with Concerned Range officer of the said will submit the CA scheme in original to this office. रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
- 8- बिन्दु संख्या-08 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 9- बिन्दु संख्या-09 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण, एन0पी0वी0 की दरों में अगर वृद्धोत्तरी होती है तो बड़ी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।
- 10- बिन्दु संख्या-10 के अनुपालना में प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 11- बिन्दु संख्या-11 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट उंचे आर0सी0सी0 पिल्लर द्वारा सीमांकन जिन पर Forward एवं Back Bearing अंकित हो संलग्न प्रॉक्कलन के अनुसार करवाते हुये नय फोटो ग्राफ्स/जी0पी0एस0 सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- 12- बिन्दु संख्या-12 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 13- बिन्दु संख्या-13 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 14- बिन्दु संख्या-14 के अनुपालना में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये वन भूमि का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।
- 15- बिन्दु संख्या-15 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा अथवा Strip Plantation हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करवाकर भी की जा सकती है।
- 16- बिन्दु संख्या-16 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तसर्जित मलबे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में अथवा यदि प्रयोक्ता अभिकरण चाहें तो वन विभाग द्वारा भी किया जा सकता है। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।



17- बिन्दु संख्या-17 के अनुपालना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

18- बिन्दु संख्या-18 के अनुपालना ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये ऑनलाईन भी अपलोड करने का कष्ट करें। उक्त सभी शर्तों की अनुपालना के पश्चात ही भारत सरकार के पत्रांक-11-306/2014 एफ0सी0 दिनांक 08-08-2014 एवं उत्तराखण्ड के पत्रांक-941/X-4-18/1-05(04)/2014 दिनांक 26-09-2018 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।


उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 1886/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी को इस आशय से प्रेषित की अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0की धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को पृथक से डिमाण्ड नोट अपने स्तर से भी जारी करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि :- उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राजि अधिकारी सकलाना राजि को इस निर्देश के साथ कि पत्र में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाये यह सुनिश्चित कर ले।


उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक-2778/12-1, दिनांक: मसूरी, 30-12-2019।

सेवा में,

अधिकांसी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
नई, टिहरी।

विषय:-

जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कदूखाल मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.325किमी0) के निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2 को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (आनलाईन प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/23941/2017

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर-केन्द्रीय), देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/63/2019/एफ0सी0/2112, दिनांक 17-12-2019 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 1529/FP/UK/ROAD/23941/2017, दिनांक 21 दिसम्बर, 2019

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर-केन्द्रीय), देहरादून के द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें सं0 1, 2, 3 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के उक्त सन्दर्भित के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित देय धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क0सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल(है0 में)/पौघ	दर	देय धनराशि
1.	प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले ग्राम घेना सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव।	4.165है0	3,06,531.00/है0	12,76,702.00
2.	एन0पी0वी0 (मसूरी वन प्रभाग)	कुल 2.0825 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-0.3845है0)	845000.00/है0	3,24,903.00
योग :- (रु0 सोलह लाख एक हजार छः सौ पाँच) मात्र				16,01,605.00

अतः उक्तानुसार आनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि /धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1, 2 व 3 तथा अन्य शर्तों 4, 5 6 एवं 7 की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आनलाईन करते हुए संगत दस्तावेजों /अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2778/12/1 दिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सादर प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।